

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-19**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100617

दिनांक: 13/04/2026

**लोक सूचना**

श्रीमति ANJANA SHARMA श्री ARVIND KUMAR SHARMA जाति BRAHAMAN निवासी 31, 32 SHIV PATH ARPIT NAGAR GANDHI PATH VAISHALI NAGAR JAIPUR

श्री ARVIND KUMAR SHARMA पुत्र श्री JHANWAR RAM SHRAMA जाति BRAHAMAN निवासी 31, 32 SHIV PATH ARPIT NAGAR GANDHI PATH VAISHALI NAGAR JAIPUR

श्री KAILASH DHOBI पुत्र श्री BALU RAM DHOBI जाति DHOBI निवासी P.NO. 109, 1/3 SHAKTIDHAM COLONY GIRDHARIPURA KACHCHI BASTI KE PASS AJMER ROAD JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	2.) अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र झंवर राम शर्मा हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण नि.प्लॉट नम्बर 31 32 शिव पथ अर्पित नगर गाँधी पथ वैशाली नगर जयपुर खातेदार 1.) अंजना शर्मा पत्नि अरविन्द कुमार शर्मा हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण नि.प्लॉट नम्बर 31 32 शिव पथ अर्पित नगर गाँधी पथ वैशाली नगर जयपुर खातेदार	89	0.840000	0.84
2.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) डॉ.अंजना शर्मा पत्नि डॉ.अरविन्द शर्मा हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण नि.31 32 अर्पितनगर गाँधीपथ वैशालीनगर जयपुर खातेदार 2.) डॉ. अरविन्द शर्मा पुत्र जे. आर.शर्मा हिस्सा 1/2	91	1.450000	1.45

		जाति ब्राह्मण नि.31 32 अर्पितनगर गौधीपथ वैशालीनगर जयपुर खातेदार			
3.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) अंजनाशर्मा पत्नि अरविन्दकुमारशर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण नि.सी.1 / 27 भरत अपार्टमेन्ट के सामने चित्रकुट अजमेर रोड जयपुर खातेदार	856/89	0.560000	0.56
4.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) कैलाश धोबी पुत्र बालूराम धोबी हिस्सा पूर्ण जाति धोबी नि.215 मां हिंगलाव नगर B लालरपुरा वार्ड न.12 जयपुर खातेदार	82	1.160000	1.16
<b>कुल</b>					<b>4.01</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-04-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)  
DAINIK BHASKAR & PRATAHKAL

प्राधिकृत अधिकारी जोन-19  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

